

13/09/2022

पत्रावली पेश। पुकारा गया। परिवादिनी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। अभियुक्त स्वयं उपस्थित आया। अभियुक्त द्वारा पूर्व आदेश के अनुपालन में जमानत प्रार्थना पत्र पेश। स्वीकृत। जमानत प्रार्थना पत्र पत्रावली पर रखा जाये। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा-251 द0प्र0सं0 दिनांक 11.10.2022 को पेश हो।

(रजनीश मोहन)
न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज
टनकपुर, चम्पावत।